

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भेरूलाल

विपक्षी :- श्री उदा

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 336 / 11

क्र.	कार्यवाही विवरण	आ.न.	रकबा	लगान
	<p>दिनांक : 01.08.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा उपस्थित होकर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर आराजी नम्बर 338 मी. को सामलाती रखने का कथन कर आपत्ति जाहिर की। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद दिनांक 30.08.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.01.2019 को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार होकर जारी करना बताकर अधिवक्ता वादी की आपत्ति खारिज कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अन्तिम किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पीडी पालना के अवलोकन से वादी का वाद दिनांक 30.08.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है एवं प्रारम्भिक डिक्री प्रतिवादी के प्रतिवाद के आधार पर पारित की गई। वादी की आपत्ति अनुसार आराजी नम्बर 338 मी. को पक्षकारान को आने जाने हेतु रास्ते हेतु सामलाती रखा जाना जाहिर हुआ है। अतः वादी की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रतिवादी से बंटवाडा शुल्क 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का फतहनगर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>			
क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	उदा, चन्दु, बसन्ती, कमला पिता रामा, मु. भोलीबाई पत्नी स्व. रामा बालदिया सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सनवाड	338/4 339/1	1.01 0.14	2.80 0.89
	योग	किता 02	1.15	3.69
2	भेरूलाल, रोशनलाल पिता हीरा 3/5 मुरीबाई पत्नी स्व. हीरा 2/5 बालदिया सा. देह खातेदार	338/3 339/2 71 मी.	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
3	रामीबाई पत्नी हजारीलाल बालदिया सा. देह खातेदार	338/5 339 मी. 71/3	1.02 0.11 0.02	2.80 0.72 0.02
	योग	किता 3	1.15	3.54
4	मुन्नीबाई पत्नी मोहन सा. देह खातेदार	338/2 339/3 71/1	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
5	लच्छीबाई पत्नी जयराम सा. देह खातेदार	338/1 339/4 71/2	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
6	उदा, चन्दु, बसन्ती, कमला पिता रामा मु. भोलीबाई पत्नी स्व. रामा 1/5 हि. ब. भेरूलाल, रोशनलाल पिता हीरा 3/20 मुरीबाई पत्नी स्व. हीरा 1/20 रामीबाई पत्नी हजारीलाल 1/5 मुन्नीबाई पत्नी मोहनलाल 1/5 लच्छीबाई पत्नी जयराम 1/5 बालदिया सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सनवाड हि. रामा पर	338 मी.	0.05	0.60
	योग	किता 1	0.05	0.60
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>			

(श्रीकान्त खत्री)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 336/11 (वाद) GCMS No. : 2011/00016

उनवान

1. श्री भेरूलाल पिता हीरा बालदिया बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
2. श्री रोशनलाल पिता हीरा बालदिया बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती भूरीबाई पत्नी हीरा बालदिया बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
4. श्रीमती रामी पत्नी हजारीलाल बालदिया बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
5. श्रीमती लेहरीबाई उर्फ लच्छीबाई पत्नी जयराम बालदिया बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
6. श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी मोहनलाल बंजारा निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री उदा पिता रामा बालदिया निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
2. श्री चन्दु पिता रामा बालदिया निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
3. श्रीमती भोलीबाई पत्नी रामा बालदिया निवासी गिरधारीपुरा तह. मावली।
4. श्रीमती बसन्ती पिता रामा बालदिया निवासी गिरधारीपुरा हाल झुपडिया तह. कपासन।
5. श्रीमती कमला पुत्री रामा पत्नी शंकर बालदिया निवासी गिरधारीपुरा हाल लाखों का खेडा तह. चित्तौडगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.08.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा गिरधारीपुरा पटवार हल्का फतहनगर की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	उदा, चन्दु, बसन्ती, कमला पिता रामा, मु. भोलीबाई पत्नी स्व. रामा बालदिया सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सनवाड	338/4 339/1	1.01 0.14	2.80 0.89
	योग	किता 02	1.15	3.69
2	भेरूलाल, रोशनलाल पिता हीरा 3/5 मुरीबाई पत्नी स्व. हीरा 2/5 बालदिया सा. देह खातेदार	338/3 339/2 71 मी.	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
3	रामीबाई पत्नी हजारीलाल बालदिया सा. देह खातेदार	338/5 339 मी. 71/3	1.02 0.11 0.02	2.80 0.72 0.02
	योग	किता 3	1.15	3.54
4	मुन्नीबाई पत्नी मोहन सा. देह खातेदार	338/2 339/3 71/1	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
5	लच्छीबाई पत्नी जयराम सा. देह खातेदार	338/1 339/4 71/2	1.01 0.11 0.03	2.80 0.72 0.05
	योग	किता 3	1.15	3.57
6	उदा, चन्दु, बसन्ती, कमला पिता रामा मु. भोलीबाई पत्नी स्व. रामा 1/5 हि. ब. भेरूलाल, रोशनलाल पिता हीरा 3/20 मुरीबाई पत्नी स्व. हीरा 1/20 रामीबाई पत्नी हजारीलाल 1/5 मुन्नीबाई पत्नी मोहनलाल 1/5 लच्छीबाई पत्नी जयराम 1/5 बालदिया सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा सनवाड हि. रामा पर	338 मी.	0.05	0.60
	योग	किता 1	0.05	0.60

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली